



		पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u>
2	श्री अमन सिंह भूरिया अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ म0प्र0	<p>आरक्षी केन्द्र— बल्देवगढ़ व दिगौडा जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p> <ol style="list-style-type: none"> विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर)। धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र। स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। थाना <u>बल्देवगढ़ एवं दिगौडा</u> से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u> दुकान एवं संस्थान अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम से संबंधित प्रकरण।
	आबकारी अधिनियम	9. संपूर्ण सिविल जिला टीकमगढ़ एवं निवाडी के समस्त आरक्षी केंद्रों एवं समस्त आबकारी वृत्तों से उद्भूत 50 बल्क लीटर एवं उससे अधिक शराब की मात्रा के प्रस्तुत समस्त प्रकरण।
	वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित प्रकरण।	10. वन वृत्त टीकमगढ़ व बल्देवगढ़ एवं जिला मुख्यालय टीकमगढ़ के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
	धारा 164 द.प्र. सं.	8. आरक्षी केन्द्र <u>खरगापुर</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट को छोडकर धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।


 (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
 टीकमगढ़ जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट (म0प्र0)

<p>3 श्री अमित निगम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>आरक्षी केन्द्र— देहात जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर)। 3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 5. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना कोतवाली टीकमगढ़ से संबंधित समस्त परिवाद/ईस्तगासा प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 8. थाना <u>देहात</u> से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u>
	<p>धारा 164 द.प्र. सं.</p>	<p>8. आरक्षी केन्द्र <u>बडागांव</u> एवं थाना <u>अजाक</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट को छोडकर प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।</p>
<p>4 अरविन्द्र सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>आरक्षी केन्द्र— बुडेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर)। 3. थाना कोतवाली टीकमगढ़ एवं थाना <u>बुडेरा</u> के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र । 4. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 5. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना <u>बुडेरा</u> से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय

		के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u>
	धारा 164 द.प्र. सं.	8. आरक्षी केन्द्र कोतवाली एवं कुडीला द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट को छोड़कर धारा-164 द. प्र.स. के कथन/संस्वीकृति ।
5	श्री प्रदीप सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र— बडागांव जिला टीकमगढ़ म0प्र0
		1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उद्भूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। 3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र । 4. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 5. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना <u>बडागांव</u> से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u>
	धारा 164 द.प्र. सं.	8. आरक्षी केन्द्र <u>बल्देवगढ़ एवं दिगौडा</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट को छोड़कर प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति ।
	ग्राम न्यायालय सम्पूर्ण तहसील टीकमगढ़ म0प्र0	9. माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञापन से प्रदत्त ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उद्भूत समस्त प्रकार के आपराधिक, विविध आपराधिक प्रकरण।


 श्रीमती सुषमा कुं...
 मुख्य अतिरिक्त न्यायाधीश
 म.प्र. न्यायालय, टीकमगढ़

<p>6 श्री संगम सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>आरक्षी केन्द्र— खरगापुर जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर)। 3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 5. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना <u>खरगापुर</u> से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u> 8. जिला मुख्यालय टीकमगढ़ के रिक्त न्यायालय के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मय प्रशिक्षु जज/मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत किये गये ऐसे प्रकरण (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न), <u>जो किसी आरक्षी केन्द्र से संबंधित न होकर किसी अन्य विभाग अथवा संस्था से संबंधित हों, जिनका प्रभार इस कार्य विभाजन पत्रक में किसी को स्पष्ट रूप से नहीं सौंपा गया है,</u> के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u> 9. आरक्षी केन्द्र <u>देहात एवं मोहनगढ़</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट को छोडकर प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।
	<p>धारा 164 द.प्र. सं.</p>	

(श्रीमती सपना घोंटा)
मुख्या न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ जिला (म0प्र0)

<p>7 श्रीमती नूतन रावते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म०प्र०</p>	<p>आरक्षी केन्द्र— कुडीला एवं महिला थाना टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म०प्र०</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। 3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 4. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 5. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना <u>कुडीला</u> से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u>
	<p>आरक्षी केन्द्र— कोतवाली टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, बल्देवगढ़, कुडीला, दिगौडा, मोहनगढ़, बुडेरा, बडागांव, खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म०प्र० (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न अपराध संबंध में)।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, बल्देवगढ़, कुडीला, खरगापुर, मोहनगढ़, दिगौडा, बडागांव एवं बुडेरा क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले <u>महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</u> (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)।
	<p>आरक्षी केन्द्र— कोतवाली टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, बल्देवगढ़, कुडीला, दिगौडा, मोहनगढ़, बुडेरा, बडागांव,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. आरक्षी केन्द्र कोतवाली टीकमगढ़, देहात टीकमगढ़, महिला थाना टीकमगढ़, बल्देवगढ़, कुडीला दिगौडा, मोहनगढ़, बुडेरा, बडागांव एवं खरगापुर जिला टीकमगढ़ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं धारा 125 द०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे


	<p>खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां (कुटुम्ब न्यायालय टीकमगढ़ के क्षेत्राधिकार को छोड़कर)</p> <p>5. थाना कुडीला संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u></p>
	<p>धारा 376 भादवि पॉक्सो एक्ट एवं संलग्न धारा एससी/एसटी एक्ट के धारा 164 दप्रस. कथन</p>	<p>आरक्षी केन्द्र बुडेरा, मोहनगढ़, बल्देवगढ़, दिगौडा, अजाक द्वारा मात्र धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।</p>
<p>8 सुश्री रिशू भगत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>आरक्षी केन्द्र— मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।</p> <p>3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।</p> <p>4. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।</p> <p>5. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।</p> <p>7. थाना मोहनगढ़ से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्हीं के द्वारा की जायेगी।</u></p>

(श्रीमती सपना चौते)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खरगापुर-टीकमगढ़ (म0प्र0)

	<p>धारा 376 भादवि पॉक्सो एक्ट एवं संलग्न धारा एससी/एसटी एक्ट के धारा 164 दप्रस. कथन</p>	<p>आरक्षी केन्द्र <u>कोतवाली टीकमगढ़ देहात, बडागाँव, खरगापुर, महिला थाना टीकमगढ़</u> द्वारा मात्र धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।</p>
<p>9 श्रीमती संगीता डाबर मौर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>आरक्षी केन्द्र— जतारा एवं बम्हौरी कला जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 2. थाना <u>जतारा एवं बम्हौरी कला</u> से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से <u>भिन्न</u>) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u> 3. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर)। 4. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 5. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 6. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 7. इस न्यायालय के प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, इसी न्यायालय द्वारा जारी स्थायी वारंट के पालन में अभियुक्त के प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं इसी मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबंधित अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने हेतु अधिकृत किया जाता है। 8. मुख्यालय जतारा के रिक्त न्यायालय के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मय प्रशिक्षु जज/मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत किये गये ऐसे प्रकरण (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से <u>भिन्न</u>), <u>जो किसी आरक्षी केन्द्र से संबंधित न होकर किसी अन्य विभाग अथवा संस्था से संबंधित हों, जिनका प्रभार इस कार्य विभाजन पत्रक में किसी को स्पष्ट रूप से नहीं सौंपा गया है,</u> के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता

		<p>है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u></p>
	आबकारी वृत्त जतारा	8. आबकारी वृत्त जतारा द्वारा प्रस्तुत 50 बल्क लीटर से कम मात्रा के प्रकरण।
	धारा 164 द.प्र. सं.	9. आरक्षी केन्द्र <u>लिधौरा एवं चंदेरा</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट को छोड़कर प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।
	धारा 376 भादवि पॉक्सो एक्ट एवं संलग्न धारा एससी/एसटी एक्ट के धारा 164 दप्रस. कथन	आरक्षी केन्द्र <u>लिधौरा चंदेरा एवं पलेरा</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।
10	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा टीकमगढ़ म0प्र0	<p>आरक्षी केन्द्र— लिधौरा चंदेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p> <ol style="list-style-type: none"> विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। थाना <u>लिधौरा एवं चंदेरा</u> से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u>
	वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित प्रकरण	9. वन वृत्त जतारा एवं तहसील जतारा मुख्यालय के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

		धारा 164 द.प्र. सं.	10. आरक्षी केन्द्र जतारा, बम्होरी कलों एवं पलेरा द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट को छोड़कर प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।
11	सुश्री विजया भारती यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जतारा जिला टीकमगढ़	आरक्षी केन्द्र— पलेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0	<p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)।</p> <p>3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।</p> <p>4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन।</p> <p>5. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।</p> <p>7. थाना पलेरा से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u></p>
		आरक्षी केन्द्र— जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्होरीकलां, चंदेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0 (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न अपराध संबंध में)।	9. आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्होरीकलां, चंदेरा क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले <u>महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</u> (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)।
		आरक्षी केन्द्र— जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्होरीकलां, चंदेरा जिला टीकमगढ़ म0प्र0	10. आरक्षी केन्द्र जतारा, पलेरा, लिधौरा, बम्होरीकलां, चंदेरा जिला टीकमगढ़ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं धारा 125 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां।


 (विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 जिला-टीकमगढ़ (म0प्र0)

	धारा 376 भादवि पॉक्सो एवं संलग्न धारा एससी/एसटी एक्ट के धारा 164 दप्रस.	आरक्षी केन्द्र <u>जतारा, बम्हौरी कला</u> द्वारा मात्र धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो के प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।
12	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र कोतवाली निवाड़ी टीकमगढ़ म0प्र0
	आबकारी वृत्त निवाड़ी	1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर)। 3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र। 4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 5. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधि०के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना <u>कोतवाली निवाड़ी</u> से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u>
	वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित प्रकरण	8. आबकारी वृत्त निवाड़ी द्वारा प्रस्तुत 50 बल्क लीटर से कम मात्रा के समस्त प्रकरण। 9. वन वृत्त निवाड़ी एवं तहसील निवाड़ी मुख्यालय के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
	धारा 164 द.प्र. सं.	10. आरक्षी केन्द्र <u>पुथ्वीपुर</u> द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति
	धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एवं एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा	आरक्षी केन्द्र <u>ओरछा एवं जेरौन</u> द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र. स. के कथन/संस्वीकृति।

(श्रीमती लक्ष्मी देवी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-टीकमगढ़ (म0प्र0)

		164 दप्रस.	
13	सुश्री के.शिवानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र पृथ्वीपुर (नैगुवा राजस्व वृत्त को छोडकर) एवं यातायात निवाड़ी जिला निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	<p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p> <p>2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर)।</p> <p>3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।</p> <p>4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन।</p> <p>5. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधि०के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।</p> <p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।</p> <p>7. थाना <u>पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोडकर) एवं यातायात निवाड़ी</u> से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u></p> <p>8. <u>मुख्यालय निवाड़ी के रिक्त न्यायालय के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत किये गये ऐसे प्रकरण (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न), जो किसी आरक्षी केन्द्र से संबंधित न होकर किसी अन्य विभाग अथवा संस्था से संबंधित हों, जिनका प्रभार इस कार्य विभाजन पत्रक में किसी को स्पष्ट रूप से नहीं सौंपा गया है,</u> के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u></p>
		धारा 164 द.प्र. सं.	9. आरक्षी केन्द्र <u>कोतवाली निवाड़ी</u> द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति

(श्रीमती सपला पोते)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-टीकमगढ़ (म०प्र०)

	धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एवं एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 164 दप्रस.	आरक्षी केन्द्र <u>महिला थाना एवं टेहरका</u> द्वारा धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।
14	श्री मनीष छापरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाडी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र <u>सेंदरी सिविल जिला निवाडी म.प्र.</u>
	धारा 164 द.प्र. सं.	1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर)। 3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र। 4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 5. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना <u>सेंदरी</u> से संबंधित <u>(विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न)</u> अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u>
		2. आरक्षी केन्द्र <u>टेहरका</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति।
15	श्रीमती पलक राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाडी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	आरक्षी केन्द्र <u>टेहरका एवं महिला थाना निवाडी जिला निवाडी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0</u>
		1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर)। 3. धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र। 4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 5. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है।

	<p>6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण।</p> <p>7. थाना <u>टेहरका</u> से संबंधित (विशेष रूप से गटित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u></p>
<p>आरक्षी केन्द्र— निवाड़ी, टेहरका, सैंदरी एवं पृथ्वीपुर (नैगुवा राजस्व वृत्त को छोड़कर) एवं महिला थाना निवाड़ी, जिला निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म०प्र० (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न अपराध संबंध में)।</p>	<p>8. आरक्षी केन्द्र निवाड़ी, टेहरका, सैंदरी एवं पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोड़कर) क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)।</p>
<p>आरक्षी केन्द्र— निवाड़ी, टेहरका, सैंदरी एवं पृथ्वीपुर (नैगुवा राजस्व वृत्त को छोड़कर), महिला थाना निवाड़ी, जिला निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म०प्र०</p>	<p>9. आरक्षी केन्द्र निवाड़ी, टेहरका, सैंदरी एवं पृथ्वीपुर (नैगुवा वृत्त को छोड़कर) जिला टीकमगढ़ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं धारा 125 द०प्र०सं० के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</p>
<p>धारा 164 द.प्र. सं.</p>	<p>9. आरक्षी केन्द्र <u>सैंदरी</u> द्वारा प्रस्तुत धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति</p>
<p>धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एवं</p>	<p>आरक्षी केन्द्र <u>कोतवाली निवाड़ी, सैंदरी, सिमरा</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट के धारा-164 द.प्र. स. के कथन/संस्वीकृति।</p>

	<p>एससी/एसटी एक्ट से संबंधित धारा 164 दप्रस.</p>	
<p>16 श्री राघवेंद्र पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ओरछा सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>आरक्षी केन्द्र— ओरछा एवं जेरोन जिला निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p>	<p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोडकर)। 3. आरक्षी केन्द्र <u>ओरछा एवं जेरौन</u> क्षेत्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र एवं अन्य परिवाद पत्र। 4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 5. स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधि० के लघु मात्रा के भी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना <u>ओरछा एवं जेरौन</u> से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। 8. <u>मुख्यालय ओरछा के रिक्त न्यायालय के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मय प्रशिक्षु जज/मजिस्ट्रेट द्वारा निराकृत किये गये ऐसे प्रकरण (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न), जो किसी आरक्षी केन्द्र से संबंधित न होकर किसी अन्य विभाग अथवा संस्था से संबंधित हों, जिनका प्रभार इस कार्य विभाजन पत्रक में किसी को स्पष्ट रूप से नहीं सौंपा गया है,</u> के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है।</p>
	<p>आबकारी वृत्त</p>	<p>12. ओरछा न्यायालय क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आबकारी वृत्त ओरछा द्वारा प्रस्तुत 50 बल्क लीटर से कम मात्रा के आबकारी अधिनियम के प्रकरण।</p>

	धारा 164 द.प्र. सं.	13. आरक्षी केन्द्र सिमरा द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट को छोड़कर धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति
17	श्री उपमन्यू शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ओरछा सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0	<p>आरक्षी केन्द्र— सिमरा सिविल जिला निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0</p> <p>1. विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां। 2. आवश्यक वस्तु अधि० के अंतर्गत उदभूत होने वाले प्रकरण (अपील एवं निगरानी छोड़कर)। 3. आरक्षी केन्द्र सिमरा क्षेत्र के धारा 138 परकाम्य विलेख अधि० के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र। 4. समस्त एफ.आर. प्रतिवेदन। 5. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधि०के लघु मात्रा के सभी प्रकरण जिसका उल्लेख भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 10.10.01 में किया गया है। 6. सक्षम न्यायालय द्वारा अंतरित समस्त आपराधिक प्रकरणों का विचारण एवं निराकरण। 7. थाना सिमरा से संबंधित (विशेष रूप से गठित न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकरणों से भिन्न) अन्य न्यायालय से निराकृत किये गये प्रकरणों के अभिलेख, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा भेजे जाने की दशा में वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करने, अभिलेखागार में अभियुक्त अनुपस्थित होने पर फरार अभियुक्त के जमा अभिलेख में अभियुक्त के स्थायी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत होने पर कार्यवाही करने एवं अन्य समस्त प्रकार की कार्यवाहियां करने के संबंध में अधिकृत किया जाता है। <u>यदि उक्त समस्त कार्यवाहियों से संबंधित पीठासीन अधिकारी वर्तमान में पदस्थ हैं, तब उनसे संबंधित उपरोक्त वर्णित समस्त कार्यवाही उन्ही के द्वारा की जायेगी।</u></p>
	आरक्षी केन्द्र— ओरछा, जेरौन, सिमरा, पृथ्वीपुर (केवल नैगुवा राजस्व वृत्त) जिला निवाड़ी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0 (महिलाओं के विरुद्ध उत्पन्न अपराध संबंध में)।	9. आरक्षी ओरछा, जेरौन, सिमरा, पृथ्वीपुर (केवल नैगुवा राजस्व वृत्त) क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले <u>महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण एवं विविध आपराधिक कार्यवाहियां।</u> (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर)।
	आरक्षी केन्द्र— ओरछा, जेरौन, सिमरा, पृथ्वीपुर (केवल नैगुवा राजस्व वृत्त) जिला निवाड़ी सिविल जिला	10. आरक्षी केन्द्र ओरछा, जेरौन, सिमरा, पृथ्वीपुर (केवल नैगुवा राजस्व वृत्त) जिला टीकमगढ़ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध आपराधिक कार्यवाहियां एवं धारा 125 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न विविध आपराधिक कार्यवाहियां।


(श्रीमती **पार्वती पोत**)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

	टीकमगढ़ म0प्र0	
	वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ से संबंधित प्रकरण।	11. वन वृत्त ओरछा एवं ओरछा अभ्यारण्य एवं तहसील ओरछा मुख्यालय के थाना क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले वन अधिनियम तथा वाईल्ड लाईफ के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
	धारा 164 द.प्र. सं.	8. आरक्षी केन्द्र <u>ओरछा एवं जेरौन</u> द्वारा प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पाक्सो एक्ट को छोड़कर धारा-164 द.प्र.स. के कथन/संस्वीकृति

- : : सामान्य आदेश : : -

संबंधित मजिस्ट्रेट के अवकाश एवं स्थानांतरण होने की दशा में कमानुसार मजिस्ट्रेट प्रभारी रहेंगे-

क्र	नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्तम्भ क. 1	स्तम्भ क. 2	स्तम्भ क. 3
1	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़	श्री अमन सिंह भूरिया ए.सी.जे.एम.	श्री अमित निगम जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री अरविन्द्र सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़
2	श्री अमन सिंह भूरिया ए.सी.जे.एम.	श्री अरविन्द्र सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री प्रदीप सोनी जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री अमित निगम जेएमएफसी टीकमगढ़
3	श्री अमित निगम जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री प्रदीप सोनी जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री अरविन्द्र सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री अमन सिंह भूरिया ए.सी.जे.एम.
4	श्री प्रदीप सोनी जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री अरविन्द्र सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री अमन सिंह भूरिया ए.सी.जे.एम.	श्री अमित निगम जेएमएफसी टीकमगढ़
5	श्री अरविन्द्र सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री अमित निगम जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री प्रदीप सोनी जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री अमन सिंह भूरिया ए.सी.जे.एम.
6	श्री संगम सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़	सुश्री रिशू भगत जेएमएससी टीकमगढ़	श्रीमती नूतन रावते जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री अरविन्द्र सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़
7	श्रीमती नूतन रावते जेएमएफसी टीकमगढ़	सुश्री रिशू भगत जेएमएससी टीकमगढ़	श्री संगम सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री प्रदीप सोनी जेएमएफसी टीकमगढ़
8	सुश्री रिशू भगत जेएमएससी टीकमगढ़	श्री संगम सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़	श्रीमती नूतन रावते जेएमएफसी टीकमगढ़	श्री प्रदीप सोनी जेएमएफसी टीकमगढ़
9	श्रीमती संगीता डाबर मोर्य जेएमएफसी जतारा	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी जेएमएफसी जतारा	कु. विजया भारती यादव जेएमएफसी जतारा	श्री अरविन्द्र सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़
10	कु. विजया भारती यादव जेएमएफसी जतारा	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी जेएमएफसी जतारा	श्रीमती संगीता डाबर मोर्य जेएमएफसी जतारा	श्री प्रदीप सोनी जेएमएफसी टीकमगढ़


 (श्रीमती सबना पोत)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 जिला न्याय मंडल (ज०प्र०)

11	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी जेएमएफसी जतारा	श्रीमती संगीता डाबर मौर्य जेएमएफसी जतारा	कृ. विजया भारती यादव जेएमएफसी जतारा	श्री अमित निगम जेएमएफसी टीकमगढ़
12	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाड़ी	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाड़ी
13	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाड़ी
14	श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाड़ी
15	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाड़ी	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाड़ी
16	श्री राघवेन्द्र पटेल जेएमएफसी ओरछा	श्री उपमन्यू शुक्ला जेएमएफसी ओरछा	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाड़ी
17	श्री उपमन्यू शुक्ला जेएमएफसी ओरछा	श्री राघवेन्द्र पटेल जेएमएफसी ओरछा	श्री मनीष छापरिया जेएमएफसी निवाड़ी	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी


नोट:-

1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ के अवकाश/प्रशिक्षण पर होने अथवा अन्य किसी कारण से अपने पद पर उपस्थित नहीं होने पर तथा किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ के सदस्यगण का पद रिक्त होने से उनका प्रथम प्रभार श्री अरिवन्द्र सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़ एवं उनकी अनुपस्थिति में द्वितीय प्रभार श्री प्रदीप सोनी जेएमएफसी टीकमगढ़ एवं उक्त दोनों की अनुपस्थिति में उपरोक्त प्रभार आदेशानुसार तथा रिमाण्ड ड्यूटी में टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा के संबंधित उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किशोर न्याय बोर्ड टीकमगढ़ के कार्य का संपादन किया जायेगा।
2. उक्त तालिका में दिये गये प्रभार अनुसार यदि किसी पीठासीन अधिकारी के समक्ष अंकित तीनों कॉलम के प्रभारी अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी दशा में स्तम्भ क्र. 1 में अंकित प्रथम प्रभारी अधिकारी के प्रभार अनुसार उनके प्रभारी अधिकारियों को कमशः प्रभार दिया जाता है।
3. श्रीमती नूतन रावते जेएमएफसी टीकमगढ़ के अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एक्ट के धारा 164 दप्रस. के कथन संस्वीकृती न्यायालय सुश्री रिशू भगत जेएमएफसी टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेगें एवं सुश्री रिशू भगत जेएमएफसी टीकमगढ़ के अवकाश अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एक्ट के धारा 164 दप्रस. के कथन श्रीमती नूतन रावते जेएमएफसी टीकमगढ़ के न्यायालय में लिये जावेगें।
4. श्रीमती संगीता डाबर मौर्य जेएमएफसी जतारा के अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एक्ट के धारा 164 दप्रस. के कथन संस्वीकृती न्यायालय सुश्री विजया भारती यादव जेएमएफसी जतारा के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेगें एवं सुश्री विजया भारती यादव जेएमएफसी जतारा के अवकाश अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एक्ट के धारा 164 दप्रस. के कथन श्रीमती संगीता डाबर मौर्य जेएमएफसी जतारा के न्यायालय में लिये जावेगें।
5. श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी के अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एक्ट के धारा 164 दप्रस. के कथन संस्वीकृती न्यायालय सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी के न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेगें एवं सुश्री के.

(श्रीमती अमिता शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ (ज.)

शिवानी जेएमएफसी निवाडी के अवकाश अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एक्ट के धारा 164 दप्रस. के कथन प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाडी के न्यायालय में लिये जावेगें तथा श्रीमती पलक राय जेएमएफसी निवाडी के अवकाश/स्थातनारण की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत धारा 376 भादवि एवं पॉक्सों एक्ट के धारा 164 दप्रस. के कथन संस्वीकृती न्यायालय सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाडी के न्यायालय में किये जावें।

6. यह कार्यविभाजन पत्रक सभी न्यायाधीशगण के ई-मेल पर संसूचित किया जा रहा है। इसलिए पृथक से प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता नहीं है।


श्रीमती सपना पोर्ते
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ म.प्र.


न्यायालय:- श्रीमती सपना पोर्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक- (241)/2023

टीकमगढ़, दिनांक 19.07.2023

प्रतिलिप:- (01-21)

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 3- माननीय जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता) वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 4- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, टीकमगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 5- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़/निवाडी की ओर जिले से संबंधित विभागों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 6- पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़/निवाडी की ओर जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने हेतु प्रेषित।
- 7- श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश महोदय, कुटुम्ब न्यायालय, जिला टीकमगढ़ म0प्र0।
- 8- श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) महोदय, टीकमगढ़ म0प्र0।
- 9- श्रीमान् समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ म0प्र0।
- 10- श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित करने, जिला न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित को मेल किये जाने हेतु अधीनस्थ को निर्देशित किए जाने बाबत्।
- 11- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी टीकमगढ़ म.प्र.।
- 12- श्रीमान् प्रथम/द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0।
- 13- श्रीमती संगीता डाबर मोर्य/कु. विजया भारती यादव/श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जतारा जिला टीकमगढ़ म0प्र0।
- 14- श्रीमान् प्रथम/द्वितीय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, निवाडी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0।
- 15- श्रीमती प्राची उपाध्याय/सुश्री के.शिवानी/श्री मनीष छापरिया/श्रीमती पलक राय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवाडी सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0।
- 16- श्री राघवेन्द्र पटेल/श्री उपमन्यू शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ओरछा सिविल जिला टीकमगढ़ म0प्र0।


(श्रीमती सपना पोर्ते)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-टीकमगढ़ (म0प्र0)

- 17- जिला अभियोजन अधिकारी टीकमगढ़ की ओर समस्त अभियोजन अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश के साथ प्रेषित।
- 18- अध्यक्ष अभिभाषक संघ, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा, जिला टीकमगढ़ म.प्र.।
- 19- सिस्टम ऑफिसर/एसए, टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी/ओरछा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 20- केन्द्रीय फाईलिंग काउंटर टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 21- निष्पादन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- 1. उक्त कार्यविभाजन पत्रक की प्रति सभी न्यायाधीशगण को ई-मेल के माध्यम से संसूचित की जा रही है।

अनुमोदित
सि/१२

19.07.23.

S.J. Tikamgarh.

(हितेन्द्र सिंह सिसोदिया)
(एच.जे.एस.)
सत्र न्यायाधीश
टीकमगढ़ (म.प्र.)

19/7/23

श्रीमती सपना पोर्त
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ म०प्र०